:: श्रम न्यायालय, भीलवाड़ा ::

पीठासीन अधिकारीः **श्री सुशील कुमार शर्मा,**(जिला न्यायाधीश संवर्ग)

प्रकरण संख्या : 7 सन् 2020

श्री गोपीलाल रेगर पुत्र श्री बीरम,निवासी– . .
कनेछनकला, तह0–शाहपुरा, जिला–भीलवाडा।

..प्रार्थी

: बनाम :

1.मुख्य प्रबंधक, सेन्ट्रल को–ऑपरेटिव बैंक, .
. सूचना केन्द्र के सामने,भीलवाडा।

.2अध्यक्ष / व्यवस्थापक, ग्राम सहकारी समिति लि0, .
. कनेछनकला,तह0–शाहपुरा,जिला–भीलवाडा।.

..विपक्षीगण

उपस्थित :

श्री प्रभाष चौधरी,प्रतिनिधि–प्रार्थी की ओर से। .
विपक्षीगण के खिलाफ एकतरफा कार्यवाही।

:: निर्णय :: दिनांक : 29.11.2023

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 33–सी (2) औ0वि0अधि0,1947 (जिसे आदेश में आगे अधि0,1947 से सम्बोधित किया जायेगा) के तहत पेश कर विपक्षी से बकाया कुल राशि 5,93,084 रू. की मांग की है।

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत क्लेम प्रार्थना पत्र में यह अंकित किया गया है कि वह विपक्षीगण के अधीन दिनांक 1.9.1988 से 30.7.2019 तक बतौर सह व्यवस्थापक नियोजित रहा तथा विपक्षीगण ने उक्त अवधि में उसे राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन से भी कम वेतन दिया। इस बाबत उसने उच्चाधिकारियों को पत्र लिख कर निवेदन भी किया, लेकिन उनके द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई। वह दिनांक 31.7.2019 को सेवानिवृत हो चुका है, लकिन उसे न्यूनतम वेतन से कम दी गई राशि के एरियर का भुगतान नहीं किया गया। प्रार्थी ने विपक्षी से 5,93,084 रू. दिलवाने की प्रार्थना की।

दिनांक 2.8.2021 को विपक्षी सं0 एक की ओर से श्री रामेश्वर लाल जाट, अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया तथा विपक्षी सं0 दो की ओर से उस दिन वकालतनामा पेश करने के लिए मौका चाहा। तत्पश्चात् दिनाक 17.4.2024 को विपक्षीगण की ओर से किसी के हाजिर नहीं आने से उनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

प्रार्थी की ओर से एकतरफा साक्ष्य में स्वयं प्रार्थी ए ड 1 गोपीलाल बयान शपथपत्र पर दर्ज करवाये गये ।

बहस एकतरफा सुनी गई तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

बहस के दौरान प्रार्थी प्रतिनिधि ने क्लेम प्रार्थनापत्र में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुए वेतन की अंतर राशि दिलवाने की प्रार्थना की।

प्रार्थी ने अपने अभिवचनों व साक्ष्य स्वरूप प्रस्तुत अपने शपथपत्र में उसकी विपक्षी में दिनांक 1.9.1988 से 30.7.2019 तक राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन से कम दिये गये वेतन की अंतर राशि 5,93,084 रू. बकाया होना कहा है।

जहां तक प्रार्थी की विपक्षीगण में दिनांक 1.9.1988 से 30.7.2019 तक राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन से कम दिये गये वेतन की अंतर राशि 5,93,084 रू. बकाया होने का प्रश्न है, इस संबंध में प्रार्थी ने अपने अभिवचनो व साक्ष्य स्वरूप प्रस्तुत अपने शपथपत्र में स्पष्ट रूप से उल्लेख करते हुए विपक्षीगण में उक्त राशि बकाया होना कहा है। प्रार्थी के कथनों की पुष्टि प्रदर्श 1 बचत खाता पास–बुक, प्रदर्श 2 लगायत प्रदर्श 5 अनुभव प्रमाणपत्रों से भी होती है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का विपक्षीगण की ओर से कोई खंडन भी नहीं है। विपक्षीगण न्यायालय में हाजिर भी नहीं हुए हैं जिससे भी यह माना जा सकता है कि वे भी प्रार्थी द्वारा किये जा रहे कथनों से सहमत हैं तथा उन्हें अपने बचाव में कुछ नहीं कहना है। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य अखंडित रही है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य पर अविश्वास करने का कोई कारण मेरे समक्ष नहीं है। प्रार्थी द्वारा की गई अंतर राशि की गणना में कोई त्रुटि होना भी नहीं पाया जाता है।

अतः उक्त विवेचन से प्रार्थी की विपक्षीगण में दिनांक 1.9.1988 से 30.7.2019 तक उसे राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन से कम दिये गये वेतन की अंतर राशि 5,93,084 रू. बकाया होना पाया जाता है। उक्त राशि प्रार्थी, विपक्षीगण से प्राप्त करने का अधिकारी है।

:: आदेश ::

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 33–सी–2 औ0 वि0 अधि0,1947 स्वीकार कर यह आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी, विपक्षीगण से न्यूनतम वेतन से कम दिये गये वेतन की अंतर राशि 5,93,084 रू. प्राप्त करने का अधिकारी है।

उक्त राशि का भुगतान आज से चार माह के भीतर किया जाये, अन्यथा प्रार्थी उक्त राशि पर 6 प्रतिशत वार्षिक की दर से साधारण ब्याज भी प्राप्त करने का अधिकारी होगा।

(सुशील कुमार शर्मा)
न्यायाधीश,
औद्योगिक न्यायाधिकरण एवं
श्रम न्यायालय,भीलवाडा।

आदेश आज दिनांक 29.11.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुशील कुमार शर्मा)
न्यायाधीश,
औद्योगिक न्यायाधिकरण एवं
श्रम न्यायालय,भीलवाडा।